

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
30-01-17	<p>राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्त रामप्रसाद अनु0। उसकी ओर से व शेष अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री रघुनाथ त्रिवेदिया। अनु0 आरोपी का हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है। फरियादी एवं आहत धर्मेन्द्र व हेमंत उप0। फरियादी एवं आहत ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा की संभावना ब्यक्त की। अतः उभयपक्षों ने राजीनामा की संभावना हेतु मीडिएशन में प्रकरण रैफर किए जाने का निवेदन किया है।</p> <p>उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः न्याय दृष्टांत A fcons Infrastructure Limited Vs Cheriyan Varkey Construction Company private Limited (2010)8 SSC 24 में दिए गए निर्देश के अनुसार मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।</p> <p>उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री पी0सी0 आर्य, एसजे गोहद का चुनाव किया है।</p> <p>अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। उभय पक्ष दिनांक 30.01.17 को 12 बजे मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हों। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो रूजित करें।</p> <p>प्रकरण आगामी दिनांक 22.02.17 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(A.K. Upadhyay) Judicial Magistrate, First Class Gohad dist. Bhand (M.P.)</p> <p>पुनश्च:</p> <p>उभयपक्ष पूर्ववत।</p> <p>मध्यस्थ न्यायालय से मध्यस्थता सफलता की टीप-प्राप्ता।,</p> <p>फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति, दाखल मध्यस्थता हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, प्राथमिक मुद्दा, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायापति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता, श्री ज़ी0आर0 बंसल एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री सुनाथ त्रिवेदिया द्वारा की गई।</p> <p>उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>फरियादी एवं आहत ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना क्रिमी भव, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p> <p>अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 224, 23 दो काउण्ट/34, 503 भाग की के अधीन दण्डनीय अपराधों का आरोप है। उभय पक्षों न्यायालय की अनुमति से</p>

Order Sheet [Contd]

195/16

Case No. of 20

e of ar or eding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
------------------------	---	---

शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 दो काउण्ट/34, 506 भाग बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।

अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

आगामी नियत दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)